


राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
क्रमांक एफ 13 (1)WE / WSHGI/Kaleva/09-10/20299-331 जयपुर, दिनांक 6-5-10

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय-कलेवा योजना में SHG को पारिश्रमिक के क्रम में।

विषयांतर्गत बजट घोषणा 10-11 अंतर्गत कलेवा योजना में SHG द्वारा भोजन आपूर्ति के पारिश्रमिक व इंधन व्यय के लिए 10 से अधिक लाभार्थी होने पर उनकी संख्या के आधार पर 10 रु प्रति लाभार्थी भुगतान किया जाए। जबकि 10 से कम लाभार्थी होने की स्थिति में न्यूनतम 10 लाभार्थी को आधार मानकर भुगतान किया जाए।

अतः SHG को मेनु राशि व पारिश्रमिक का भुगतान उक्तानुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।


आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज, जयपुर

क्रमांक एफ 13 (1)WE / WSHGI/Kaleva/09-10/20332 जयपुर, दिनांक 6-5-10

प्रतिलिपि-1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि. राज. जयपुर को प्रेषित है।

2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।


FA.D., SHG